डा. राजीव कुमार,
इतिहास विभाग,
एच.डी.जैन कॉलेज, आरा,

Topic - राष्ट्र संघ की विफलता का प्रमुख कारण तथा इसके लिए अमेरिका की उत्तरदायित्व की सीमा

The main reasons for the failure of The League of Nations and the extent of America's responsibility for it.

प्रस्तावना :

प्रथम विश्वयुद्ध (1914–1918) की विभीषिका ने विश्व को शांति और सहयोग की आवश्यकता का तीव्र अनुभव कराया। इसी पृष्ठभूमि में 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के बाद राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सामूहिक सुरक्षा की भावना को विकसित करना तथा भविष्य के युद्धों को रोकना था। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 'चौदह सूत्रों' (Fourteen Points) में राष्ट्र संघ की अवधारणा प्रस्तुत की थी।

किन्तु, विडंबना यह रही कि जिस संस्था की परिकल्पना अमेरिका के राष्ट्रपति ने की, वही अमेरिका उसका सदस्य नहीं बना। अंततः राष्ट्र संघ द्वितीय विश्वयुद्ध (1939) को रोकने में असफल रहा और 1946 में इसे भंग कर दिया।

राष्ट्र संघ की विफलता के प्रमुख कारण :

---

1. संरचनात्मक कमजोरियाँ (Structural Weaknesses)

राष्ट्र संघ की संरचना ही उसकी कमजोरी का मूल कारण थी।

सर्वसम्मति का सिद्धांत (Principle of Unanimity):

परिषद और सभा में अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। किसी एक देश के विरोध से निर्णय रुक जाता था। इससे त्वरित और प्रभावी निर्णय संभव नहीं हो पाते थे।

स्थायी सेना का अभाव: राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। वह केवल सदस्य देशों पर निर्भर था। यदि कोई शक्तिशाली देश आक्रमण करता, तो उसे रोकने के लिए ठोस सैन्य कार्रवाई कठिन थी।

दंडात्मक शक्ति का अभाव:

---------- आर्थिक प्रतिबंध (Sanctions) ही मुख्य साधन था, जो हमेशा प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ।
इन कमजोरियों के कारण राष्ट्र संघ केवल सलाहकार संस्था बनकर रह गया।

2. अमेरिका की अनुपस्थिति :

राष्ट्र संघ की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण अमेरिका का सदस्य न बनना था।
अमेरिका उस समय विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था।
अमेरिकी सीनेट ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया और राष्ट्र संघ में शामिल होने से इंकार कर दिया।
अमेरिका की अनुपस्थिति से राष्ट्र संघ की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता कम हो गई।
यदि अमेरिका सदस्य होता, तो आर्थिक और सैन्य दबाव अधिक प्रभावी हो सकता था।

3. महाशक्तियों का असहयोग :

जर्मनी और सोवियत संघ प्रारंभ में सदस्य नहीं थे।
इटली और जापान जैसे देश बाद में संघ से अलग हो गए।
ब्रिटेन और फ्रांस अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते थे।
जब महाशक्तियाँ ही संगठन के प्रति प्रतिबद्ध न हों, तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है।

4. वर्साय की संधि की कठोरता :

राष्ट्र संघ की स्थापना वर्साय संधि के साथ हुई, जिसने जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाईं।
जर्मनी में असंतोष और प्रतिशोध की भावना बढ़ी।
हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ।
राष्ट्र संघ जर्मनी के आक्रामक कदमों को रोकने में असफल रहा।

5. तुष्टीकरण की नीति (Policy of Appeasement) :

ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी और इटली के आक्रामक कार्यों के प्रति कठोर रुख नहीं अपनाया।
1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा,
1935 में इटली द्वारा अबीसीनिया (इथियोपिया) पर आक्रमण,
1936 में जर्मनी द्वारा राइनलैंड का पुनः सैन्यीकरण,
इन घटनाओं पर राष्ट्र संघ की प्रतिक्रिया कमजोर रही। इससे आक्रामक शक्तियों का मनोबल बढ़ा।

6. आर्थिक महामंदी (1929) :

1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने देशों को आंतरिक समस्याओं में उलझा दिया।
बेरोजगारी और आर्थिक संकट से राष्ट्रवादी और फासीवादी शक्तियाँ मजबूत हुईं।
देश अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बजाय आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद की ओर बढ़े।
इससे राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा कमजोर हुई।

7. सामूहिक सुरक्षा की विफलता :

राष्ट्र संघ का मूल सिद्धांत था कि किसी एक देश पर आक्रमण पूरे विश्व पर आक्रमण माना जाएगा।
लेकिन व्यवहार में:
सदस्य देश जोखिम लेने को तैयार नहीं थे।
आर्थिक प्रतिबंध आधे-अधूरे लगाए गए।
इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा केवल सिद्धांत बनकर रह गई।

राष्ट्र संघ की विफलता का सर्व प्रमुख कारण :

उपरोक्त कारणों में से यदि एक प्रमुख कारण की पहचान करनी हो, तो वह था — महाशक्तियों की प्रतिबद्धता का अभाव और विशेष रूप से अमेरिका की अनुपस्थिति।

किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सफलता उसके शक्तिशाली सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। राष्ट्र संघ के पास न तो अमेरिका था, न ही बाद में जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश स्थायी रूप से जुड़े रहे।
इस प्रकार यह संगठन विश्वव्यापी प्रतिनिधित्व और शक्ति संतुलन से वंचित रहा।

अमेरिका की उत्तरदायित्व की सीमा :

अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्र संघ की विफलता के लिए अमेरिका किस हद तक जिम्मेदार था?

1. अमेरिका की प्रारंभिक भूमिका :
राष्ट्र संघ की कल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने की थी।
उन्होंने इसे विश्व शांति का आधार बताया।
किन्तु अमेरिकी सीनेट ने वर्साय संधि को अस्वीकार कर दिया। अमेरिका ने अलगाववाद (Isolationism) की नीति अपनाई।

2. आर्थिक और सैन्य शक्ति का अभाव :
अमेरिका उस समय विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था।
यदि वह सदस्य होता, तो आर्थिक प्रतिबंध अधिक प्रभावी होते।
जापान और इटली जैसे देशों पर दबाव बढ़ता।

सामूहिक सुरक्षा की भावना मजबूत होती।
इस दृष्टि से अमेरिका की अनुपस्थिति एक गंभीर कमजोरी थी।

3. अलगाववाद की नीति :
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका में यह भावना थी कि यूरोप के संघर्षों से दूर रहना चाहिए।
अमेरिकी जनता और सीनेट यूरोपीय राजनीति में उलझना नहीं चाहते थे।
इससे राष्ट्र संघ को आवश्यक समर्थन नहीं मिला।

4. क्या केवल अमेरिका ही जिम्मेदार था ?

हालांकि अमेरिका की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण थी, लेकिन केवल उसे ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति भी उतनी ही जिम्मेदार थी।
आर्थिक महामंदी और फासीवाद का उदय भी बड़े कारण थे।
राष्ट्र संघ की संरचनात्मक कमजोरियाँ भी मूल कारण थीं।
यदि अमेरिका सदस्य भी होता, तब भी यह निश्चित नहीं था कि वह हर आक्रामकता के विरुद्ध सैन्य हस्तक्षेप करता।

समालोचनात्मक विश्लेषण :

इतिहासकारों के अनुसार राष्ट्र संघ की विफलता बहुआयामी थी।
यह एक आदर्शवादी संस्था थी, जो वास्तविक शक्ति संतुलन और राजनीतिक यथार्थ को समझने में असफल रही।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहते हैं।
अमेरिका की अनुपस्थिति ने संगठन को कमजोर अवश्य किया, परंतु ब्रिटेन और फ्रांस की अनिर्णयशीलता तथा आक्रामक शक्तियों की विस्तारवादी नीतियाँ भी उतनी ही उत्तरदायी थीं।

निष्कर्ष :

राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति की एक महान आकांक्षा का प्रतीक थी, किन्तु इसकी संरचनात्मक कमजोरियाँ, महाशक्तियों का असहयोग, आर्थिक संकट, तुष्टीकरण की नीति तथा आक्रामक राष्ट्रवाद इसके पतन के प्रमुख कारण बने।
इन सबमें सबसे प्रमुख कारण महाशक्तियों की अनुपस्थिति और प्रतिबद्धता का अभाव था, जिसमें अमेरिका की सदस्यता न लेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था।
अमेरिका यदि राष्ट्र संघ में शामिल होता, तो उसकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति संगठन को अधिक प्रभावी बना सकती थी। फिर भी, राष्ट्र संघ की विफलता का सम्पूर्ण दोष अमेरिका पर नहीं

डाला जा सकता। यह विफलता अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं और उस समय की वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम थी।

अंततः राष्ट्र संघ की असफलता से सीख लेकर ही द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना की गई, जिसमें अमेरिका सक्रिय सदस्य बना और संरचनात्मक सुधार किए गए।

इस प्रकार राष्ट्र संघ का इतिहास हमें यह सिखाता है कि केवल आदर्शवाद पर्याप्त नहीं है; अंतरराष्ट्रीय संगठन की सफलता के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों की सक्रिय और ईमानदार प्रतिबद्धता अनिवार्य है।